फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर,(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री राधेश्याम बनाम विपक्षी : श्रीमती मोडीबाई व अन्य

किस्म मुकदमा – 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 17/24

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक : 29.07.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर आराजी संख्या 1298 में आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी न. 1299 में से 15 फीट चौडा रास्ता कायम किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसका क्षैत्राधिकार न्यायालय हाजा को न होकर तहसीलदार को है साथ ही प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 5 में अंकित किया गया कि पूर्व में विपक्षीगण ने प्रार्थीगण की आराजीया पर आने जाने वाले दैनिक उपयोग के रास्ते को बन्द कर दिया जिस पर तुरन्त प्रार्थीगण ने उक्त बन्द रास्ते को खुलवाने का एक प्रार्थना पत्र माननीय तहसीलदार भीण्डर को दिया, जिस पर राजस्व रेकर्ड के मानचित्र अनुसार उक्त रास्ते को गांव के मौतबिर पंचो कि उपस्थित में विपक्षीगण के सामने तहसीलदार भीण्डर एवं प्रशासन ने उपयोग के लिए खुलवाया। उक्त कथन से भी यह प्रतित होता है कि प्रार्थना पत्र नया रास्ता कायम किये जाने से संबंधित नहीं है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना क्षैत्राधिकार में नहीं होने से इसी स्तर पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:50:22 IST
Reason: SelfAttested